<u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-1, मुजफ्फरनगर।</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं.- 3264/2026
सरकार बनाम मंयकपाल
मु०अ०सं०- 17/2026
धारा- 303(2), 317(2), 3(5) B.N.S.
थाना- जी०आर०पी०, जिला- मुजफ्फरनगर।

<u>08.06.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मंयकपाल पुत्र सुभाष चंद पाल, निवासी मोहल्ला मिस्रान कस्बा व थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरगनर के विरुद्ध मु०अ०सं० 17/2026 धारा- 303(2), 317(2), 3(5) B.N.S थाना जी०आर०पी०, जनपद मुजफ्फरनगर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त कतई बेगुनाह व बेकसूर है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त को बेवजह रंजिश उपरोक्त वाद में झूठे तौर पर मुलजिम बनाया गया है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपनी उचित जमानत देने को तैयार है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर वादी मुकदमा का मोबाईल चोरी करने व बरामदगी का अभियोग है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोष पर टिप्पणी किए, अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मंयकपाल पुत्र सुभाष चंद पाल का जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

प्रभारी अपर सिविल जज (जू० डि०),
कोर्ट सं० 1, न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by ANISHKA CHAUDHARY
Date: 2026.06.08 11:23:22 IST
Reason: Document Owner
Location: ACJ(JD)01